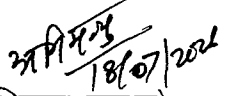


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

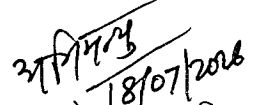
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नये राशन कार्ड के निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन, राशन कार्ड के रद्दीकरण इत्यादि हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि, भौतिक सत्यापन आदि से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु श्री हिमांशु कुमार (कोटि क्रमांक-92/2024), सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. श्री हिमांशु कुमार अविलंब विभाग में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

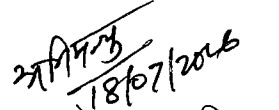

(अभिमन्यु प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0 3-स्था0(स0जि0आ0पदा0)-02/2025 4035 खाद्य, पटना/दिनांक-18/07/2026
प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय एवं श्री हिमांशु कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0 3-स्था0(स0जि0आ0पदा0)-02/2025 4035 खाद्य, पटना/दिनांक-18/07/2026
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/
सचिव कोषांग/निदेशक-सह-विशेष सचिव कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-06 एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।